रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-37 NO, 28, 25 July Missing

REGISTERED No D (D)-37

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 1981/आषाढ़ 13, 1903

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 1981/ASADHA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनो को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations o' Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 1981

आ० अ० 757—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई 1980 मे हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 69-सिरमौर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री जेठू लाल, ग्राम व पोस्ट चचाई, जिला रीवा (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे हैं ,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 20-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जेठू लाल को ससद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्रहित घोषित करता है ।

[स० म० प्र०-वि०स०/69/80(95)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 29th May, 1981

O.N. 757.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jethulal Village and Post Chachai, District Rewa (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 69-Sirmour constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

And whereas the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of scetion 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jethulal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/69/80/(95)]

आ० अ० 758—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 मे हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 69-सिरमौर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री बालक, ग्राम व पोस्ट बुसोल, रीवा, जिला रीवा (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा

अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बालक को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र०-वि०स०/69/80(96)]

O.N. 758.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Balak, Village and Post Bushol, Rewa, District Rewa (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 69-Sirmour constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Balak to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/69/80(96)]

आ० अ० 759.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश, विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 69-सिरमौर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम कमरहट, पोस्ट खैरहन, जिला रीवा (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महेन्द्र प्रताप सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र०-वि०स०/69/80(97)]

O.N. 759.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahendra Pratap Singh, Village Kamarhat, Post Khairhan, Rewa, Rewa District (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 69-Sirmour Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahendra Pratap Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/69/80(97)]

आ० अ० 760.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 69-सिरमौर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव शंकर प्रताप सिंह, ग्राम व पोस्ट हिंगोला, जिला रीवा (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिव शंकर प्रताप सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र०-वि०स०/69/80(98)]

O.N. 760.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shankar Pratap Singh, Village and Post Hinola, District Rewa (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 69-Sirmour constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiv Shankar Pratap Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/69/80(98)]

नई दिल्ली, 3 जून, 1981

आ० अ० 761.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 239-भोपाल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पुण्डलिक राव मामा जी वाहने, 273, पंचशील नगर, जिला भोपाल, (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पुण्डलिक राव मामा जी वाहने को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद

के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र०-वि०स०/239/80 (106)]

New Delhi, the 3rd June, 1981

O.N. 761.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pundlikrao Namaji Bahane, 273, Panchsheel Nagar, District-Bhopal, Bhopal (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 239-Bhopal South constituency, has failed to lodge an account of his election expenses with in the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pundlikrao Namji Bahane to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/239/80(106)]

नई दिल्ली, 4 जून, 1981

आ० आ० 762—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 240-जूनेर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री खन्डू नावाजी गवाडे, मु० पो० अरवी, तालुका जूनेर, जिला पूने (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री खन्डू नावाजी गवाडे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० महा-वि०स०/240/80(89)]

New Delhi, the 4th June, 1981

O.N. 762.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Khandu Navaji Gawade, At & Post Arvi, Taluka Junnar, District Pune (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 240-Janner constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commissoin is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Khandu Navaji Gawade to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/240/80(89)]

आ० आ० 763—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 मे हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 301-बदनावर निर्वाचन-क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राधाकृष्ण कानाजी, खाचरौदा, ग्राम व पोस्ट, खाचरौदा, जिला धार (मध्य प्रदेश) । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है ,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राधा कृष्ण कानाजी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म० प्र०-वि०स०/301/80(99)]

O.N. 763.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Radhakishan Kanaji, Khachroada, Village and Post Khachroada, District-Dhar (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 301-Badnawar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Radhakishan Kanaji to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/301/80(99)]

नई दिल्ली, 5 जून, 1981

आ० आ० 764—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 302-सरदारपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नानजी भुवान, भास्कर नगर जौलाना, तहसील सरदारपुर, जिला धार (मध्य प्रदेश) । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने म असफल रहे हैं ,

और, यत, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नानजी भुवान को ससद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र०-वि०स०/302/80(105)]

New Delhi, the 5th May, 1981

O.N. 764.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nanji Bhuwan, Bhaskar Nagar (Joulana) Tahsil Sardarpur, District Dhar (Mdahya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 302-Sardarpur constituency,

has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nanji Bhuwan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No; MP-LA|302|80(105)]

नई दिल्ली, 9 जून, 1981

आ० अ० 765.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 62-पालघर (अ०ज०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बन्दु लक्ष्मण पाटिल, कोण्डगाव डाक मनोर, तालुका पालघर, जिला थाना (महाराष्ट्र) । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बन्दु लक्षमण पाटिल, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० महा-वि०स०/62/80(88)]

New Delhi, the 9th June, 1981

O.N. 765.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bendu Laxman Patil, At-Kondgaon, Post-Manor, Tahsil-Palghar, District Thana (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 62-Palghar (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bendu Laxman Patil to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/52/80(88)]

नई दिल्ली, 17 जून, 1981

आ० अ० 766.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 248-पारवती (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नामदेई लक्ष्मण ढसल, 94-हाजीकासम चोल साहिर अमर शेख रोड, बम्बई-11 । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नामदेई लक्ष्मण ढसल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० महा-वि०स०/248/80(90)]

आदेश से,

धर्मवीर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

New Delhi, the 17th June, 1981

O.N. 766.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Namdeo Laxman Dhasal, 94-Hajikasam Chawl Shahir Amar Shaikh Road, Bombay-11 a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 248-Parvati (SC) Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Namdeo Laxman Dhasal to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA|248|80(90)]

By order,

DHARAM VIR, Under Secy.

Election Commission of India

नई दिल्ली, 12 जून, 1981

आ० अ० 767.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई 1980 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 135-अनदीपट्टी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ए० वेत्रीवेनथन, अम्माचियापुरम पोस्ट (वाया) थेनी, पेरियाकुलम तालुक, मदुराय जिला (तमिलनाडु) । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, यत: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ए० वेत्रीवेनथन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त०ना०-वि०स०/135/80(92)]

आदेश से,

वी० के० राव, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

New Delhi, the 12th June, 1981

O.N. 767.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri A. Vetriventhan, Ammachiapuram Post, (Via) Theni, Periakulam Taluk, Madurai District (Tamil Nadu) a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in May, 1980 from 135-Andipatti Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri A. Vetriventhan to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. TN-LA/135/80(92)]

By order,

V. K RAO, Under Secy.,

Election Commission of India

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981